राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 16 (13)सा.प्र/4/13 जयपुर, दिनांक 19/12/16

1. निदेशक, संपदा विभाग, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर।
2. नियंत्रक राज0स्टेट मोटर गैराज, राज0 जयपुर।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर।
4. आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
5. प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।
6. प्रबंधक, जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
7. प्रबंधक, स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
8. प्रबंधक, राज0 भवन, वाशी नवी मुम्बई।
9. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।

विषयः– एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भः– शासन सचिव, वित्त (व्यय) अंकेक्षण अनुभाग की अ.शा. टीप क्रमांक प. 4(134)वित्त/अंकेक्षण/91 दिनांक 13.02.2016 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित अ.शा. टीप द्वारा वित्त अंकेक्षण अनुभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2016 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। वित्त अंकेक्षण अनुभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2016 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वित्त (व्यय) अंकेक्षण अनुभाग की अ.शा. टीप क्रमांक प.4(134)वित्त/अंकेक्षण/91 दिनांक 13.02.2016 के क्रम में

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषय : एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति / राजकीय उपक्रम समिति / स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भः सचिव, राजस्थान विधानसभा का अशा. पत्रांक एफ. 9(85)जलेस / सिविल / विस / 2016 / 48487 दिनांक 28.11.2016।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि दिनांक 17.05.2016 को माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के वैश्म में प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार राजस्थान जयपुर तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण राजस्थान विधानसभा द्वारा दिनांक 06.06.2016 को जारी करते हुए बैठक में उठाए गए बिन्दुओं पर पालना रिपोर्ट चाही गयी है। उक्त कम में इस विभाग द्वारा एक परिपत्र दिनांक 30.06.2016 जारी कर परिपत्र में वर्णित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार तथा इस विभाग को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः इस संबंध में दिनांक 22.07.2016 एवं 09.08.2016 को स्मरण कराया गया है, किन्तु परिपत्र दिनांक 30.06.2016 में वर्णित बिन्दुओं पर आपके विभाग से संबंधित की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

सचिव, राजस्थान विधानसभा के सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.11.2016 द्वारा वांछित सूचना अविलम्ब भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने तथा जन लेखा समिति / राजकीय उपकम समिति / स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं तथ्यों को छिपाये जाने पर रोकथाम के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 30.06.2016 के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 पर की गई कियान्विति की सूचना अविलम्ब राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

(सुरेश चन्द्र दिनकर)
शासन सचिव,वित्त (व्यय)

प्रमुख शासन सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य प्रशासन), (नागरिक उड्डयन)
(सम्पदा), (राज0 स्टेट मोटर गैराज)
राजस्थान, जयपुर।

अ.शा. टीप कमांक : प.4(134)वित्त / अंकेक्षण / 91
जयपुर, दिनांक 13 DEC 2016

परिपत्र

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.4(134)वित्त/अंकेक्षण/91 जयपुर, दिनांक 30-6-2016

समस्त अति.मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय : एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

सचिव, राजस्थान विधानसभा ने दिनांक 17.05.2016 को माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के वैश्म में प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ आयोजित बैठक में की गयी चर्चा का कार्यवाही विवरण संलग्न कर निम्न अनियमितताओं की रोकथाम की कार्यवाही किये जाने हेतु ध्यान आकर्षित किया है –

1. महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के लेखों की जांच के पश्चात गठित किये गये आक्षेप बार–बार दोहराये जाते हैं। प्रधान महालेखाकार द्वारा ऐसे 88 विभागों एवं राजकीय उपक्रमों की सूची प्रस्तुत की है जिनमें विगत सात वर्षो से एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति हो रही है (सूची संलग्न)।
2. जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/ स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में परीक्षण के समय विभागों/राजकीय उपक्रमों द्वारा परीक्षण हेतु वांछित सूचनाओं को उपलब्ध नही कराने एव छिपाये जाने का प्रयास किया जाता है।
3. अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराया जाना, अंकेक्षण दलो को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति को परीक्षण हेतु वांछित सूचनाए उपलब्ध नहीं कराया जाना/तथ्यों को छिपाया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने तथा जन लेखा समिति/ राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं तथ्यों को छिपाये जाने पर रोकथाम हेतु निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं –

1.एक ही प्रकृति के आक्षेपों को बार-बार दोहराया जाना यह दर्शाता है कि विभाग/राजकीय उपकम की कार्य प्रणाली में कोई न कोई कमी है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु विभागीय कार्य प्रणाली/प्रकिया/नियमों की समीक्षा की जाकर आवश्यकतानुसार संशोधन किए जावे तथा सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियो को इसकी पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पाबंद किया जावे।

2. जब भी जन लेखा समिति/राजकीय उपकम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा विभागों/राजकीय उपकमों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जावे तो परीक्षण के समय वांछित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास नहीं किया जावे एवं तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर सही सूचना दी जावे।

3. महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पूर्व में ही परिपत्र कमांक 13 (134) वित्त / अंकेक्षण/91 दिनांक 17.02.2016 जारी किया हुआ है जिसकी कडाई से पालना किया जाना अपेक्षित है।

कृपया इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गयी कार्यवाही से राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग को भी अवगत करावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

(आर.के.मीणा)
संयुक्त शासन सचिव